न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव, जिला उदयपुर राज0

प्रकरण संख्या 8/2019 प्रा0पत्र/पत्थरगढी

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा, आर.ए.एस.

1. भगवान महावीर शिक्षा एवं विकास समिति जरिये संचालिका श्रीमति लीलावती जैन पत्नी श्री सुन्दरलाल कीकावत (जैन) निवासी पगल्याजी रोड, ऋषभदेव

– प्रार्थी

बनाम

1.श्री केशवलाल भण्डारी पुत्र श्री भवानीशंकर निवासी ऋषभदेव।

2.श्री कूरा पटेल पुत्र रतना पटेल निवासी थाणा तह. ऋषभदेव।

3.श्री महेश पटेल पुत्र मांगीलाल पटेल निवासी थाणा तह. ऋषभदेव।

4.श्री अनिल पटेल पुत्र डायालाल पटेल निवासी थाणा तह. ऋषभदेव।

5.श्री अशोक पटेल पुत्र भाणा पटेल निवासी थाणा तह. ऋषभदेव।

6.श्री मणीलाल पुत्र जीवाजी कलाल निवासी थाणा तह. ऋषभदेव।

7.श्रीमति देवली पत्नी शंकरलाल मीणा निवासी थाणा तह. ऋषभदेव।

8.श्रीमति पुष्पा पत्नी राजेन्द्र मीणा निवासी थाणा तह. ऋषभदेव।

9.राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब ऋषभदेव।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक – 24.10.2019

आदेश

प्रार्थीया की ओर से जरिये अभिभाषक प्रार्थना–पत्र इस आशय का पेश किया गया कि, मौजा थाणा, पटवार हल्का ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर राज0 के आराजी खसरा नम्बर 1497 कुल किता 1 रकबा 1.4000 है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है और विपक्षीगण अराजियात जैर बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जा कर मोके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी की ओर से आराजियात जैर बहस की नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया। विपक्षीगणों द्वारा 25.08.2019 को इकबालीया जवाब प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया गया। प्रार्थी आराजियात जैर बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

अतः तहसीलदार ऋषभदेव के प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि मौजा थाणा, पटवार हल्का ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर राज0 के आराजी खसरा नम्बर 1497 कुल किता 1 रकबा 1.4000 है0 की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जा कर उनकी उपस्थिति में बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जा कर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी की जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा ट्रेस 7 योम में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जा कर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2019.11.25 15:02:36 IST
Reason: SelfAttested